

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 13/प्र0अ0(त0स0-2)/जोन-1/2015-16 दिनांक 01/07/2015

अनुमति-पत्र

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर व्यवसायिक भवन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री विनोद कुमार केसरवानी एवं श्रीमती कुसुम केसरवानी पत्नी श्री राजेश कुमार केसरवानी द्वारा मकान नं0-911 मोहल्ला कटरा, परगना व तहसील-सदर, जिला इलाहाबाद जोन संख्या (1) के अन्तर्गत दाखिल व्यवसायिक भवन मानचित्र के क्रम में निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 01 अदद वृक्ष लगाने होंगे तथा वृक्षों को हरा-भरा रखने का दायित्व आवेदिकागण की होगी।
4. स्थल का अधिभोग/उपयोग स्वीकृत प्रस्तावना के अनुसार ही करना होगा।
5. भूखण्ड का नाप तथा क्षेत्रफल, रोड की चौड़ाई के सम्बन्ध में भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद/वाद होने पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
6. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी। यह स्वीकृति भू-स्वामित्व का अधिकार प्रदान नहीं करती है। भू-स्वामित्व सम्बन्धी कोई भी विवाद सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा ही निस्तारित किया जा सकता है।
7. विभिन्न समय पर जारी शासनादेश व नियमों का पालन करना होगा तथा प्राधिकरण यदि कोई शुल्क आरोपित करता है तो उसे पक्ष को जमा करना होगा।
8. यदि आवेदिकागण द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
9. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है।
10. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के आग्र भाग, पृष्ठ भाग अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
11. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
12. आवेदिकागण को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
13. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

Received one copy sanction Map
and permit letter.

Sawesh K. Sanyal
2.7.2015


(पुष्कर श्रीवास्तव)

OSD/प्रभारी अधिकारी (त0स0-2)


LEGEND
 PROPOSED COVERED AREA SHOWN THUS 
 OLD EXISTING TO BE DEMOLISHED S. T. 
 RAIN WATER PIPE SHOWN THUS 

यह ब्लूप्रिंट/प्लान अतिरिक्त है। 'पूजा प्रयाग' प्रायका के बाद ही इसे जारी कर सकते हैं अन्यथा कानून लागू है।
 28/6/15
 मूल नगर निरीक्षक इलाहाबाद
 म. 28/6/15
 म. 28/6/15
 म. 28/6/15

यह ब्लूप्रिंट के साथ जारी किया गया है। इसमें कोई भी परिवर्तन बिना मालिक के लिखित आदेश के नहीं किया जा सकता है।




SECTION ON 'AB'




FRONT ELEVATION


S. N.	DESCRIPTIONS	AREA IN SQM
1.	PLOT AREA	171.93
2.	PERMISSIBLE GROUND COVERAGE (40% OF P. A.)	68.67
3.	PERMISSIBLE F. A. R. (1.75 OF P. A.)	214.91
4.	PROPOSED COVERED AREA AT BASEMENT FLOOR	32.07
5.	PROPOSED COVERED AREA AT GROUND FLOOR	66.55
6.	PROVIDED GROUND COVERAGE	39.97%
7.	OPEN AREA	103.38
8.	PROPOSED COVERED AREA AT FIRST FLOOR	66.55
9.	PROPOSED COVERED AREA AT SECOND FLOOR	66.55
10.	TOTAL FLOOR AREA	206.65
11.	PROVIDED F. A. R.	1.19
12.	TOTAL MUMTY AREA	23.88
13.	OLD EXISTING TO BE DEMOLISHED AREA	26.79




KEY PLAN (N.T.S)




BASEMENT FLOOR PLAN




GROUND FLOOR PLAN



SITE PLAN




TERRACE PLAN



FIRST & SECOND FLOOR PLAN

S. N.	PARTICULAR	SIZE
1.	DOOR	D1 1100X2500
2.		D2 1050X2500
3.		D3 900X2500
4.		D4 750X2500
5.	WINDOW	W1 1800X1800
6.		W2 1500X1800
7.		W3 1200X1800
8.		W4 1200X1500
9.	V.	600X 600



OLD EXISTING PLAN (TO BE DEMOLISHED) (SCALE-1:200)

PROJECT PROPOSED
 COMMERCIAL BUILDING PLAN ON HOUSE NO. 911, AT MOHALLA KATRA, PARGANA AND TEHSIL SADAR, ALLAHABAD

DRG. NO.	HMC/COMP-08/08/MAY-15
SHEET NO.	1
SIZE	A1
DETAILED BY:	
CHECKED BY:	EX. MITHLESH KUMAR
SCALE	1:100
DATE	MAY-15

CERTIFIED THAT THIS MAP IS AS PER PROVISIONS OF MASTER PLAN 2021 AND UPVIDH 2012.

Mithlesh Kumar
 Smt. Sita Devi
 Smt. Kusum Keserwani
 Smt. Rajesh Keserwani

SIGN OF OWNER

SEAL & SIGN OF ENGINEER

EX. MITHLESH KUMAR
 B.Tech. (Civil) M.I.E.
 Regd. No. M-149374-9
 THE INSTITUTION OF ENGINEERS (INDIA)

OWNER

- SMT. SITA DEVI w/o SRI VINOD KESERWANI
- SMT. KUSUM KESERWANI w/o SRI RAJESH KESERWANI

HOME MAKER'S AND CONSULTANT
 221/210-A NAYA PURA STARBUCK ROAD ALLAHABAD. MOBILE-7000099310